श्री संतोष उराँव, सभापति, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति की अध्यक्षता में दिनांक–03.11.2023 (शुक्रवार) को समिति कार्यालय रांची में सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की 64वीं बैठक की कार्यवाही :–

1. **उपस्थिति :–** बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित हुए :–

क्र०	नाम	कार्यकारिणी समिति में धारित पद	उपस्थिति
1.	श्री संतोष उराँव, पूर्ववर्ती छात्र, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सभापति	उपस्थित
2.	श्री सुनील कुमार, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, रांची।	सदस्य	उपस्थित
3.	श्री कपिलदेव पंडित, अवर सचिव, वित्त विभाग के प्रतिनिधि (वित्त सचिव द्वारा मनोनीत) सदस्य, वित्त विभाग, झारखण्ड रांची।	सदस्य	उपस्थित
4.	डॉ. कामिनी कुमार, (राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद्), प्रति कुलपति, कोलहान विश्वविद्यालय, चाईबासा।	सदस्य	अनुपस्थित
5.	डॉ. उपेन्द्र प्रसाद, सेवा–निवृत्त, सह–शिक्षक, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य	उपस्थित
6.	डॉ. प्रसाद पासवान, प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य–सचिव	उपस्थित
7.	डॉ. गिरिन्द्र प्रसाद, सह–शिक्षक, सेवा–निवृत्त, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	(विशेष आमंत्रित)	उपस्थित
8.	श्री मारुति प्रताप सिंह, शिक्षक, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	(शिक्षक प्रतिनिधि)	उपस्थित

Santosh

02. कार्यसूची की मद संख्या–01 : दिनांक–10.08.2023 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति, ने.वि.स. की 63वीं बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि की गई।

03. कार्यसूची की मद संख्या –02 : दिनांक–10.08.2023 को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति, ने.वि.स. की 63वीं बैठक में लिये गये निर्णयों के संदर्भ में प्राचार्य–सह–सदस्य सचिव, ने.वि.स. द्वारा कृत अनुपालन प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया गया; तदनुसार समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन को सर्वसम्मति के साथ सम्पुष्टि प्रदान की गयी।

04. कार्यसूची की मद संख्या–03 : विद्यालय के प्रथम आश्रमवर्ग से लेकर सप्तम आश्रमवर्ग तक के सभी आश्रमों एवं पाकशालाओं की आंशिक मरम्मति के प्रंसग में कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल लातेहार के कार्यालय पत्रांक–1128/(अनु.) लातेहर/दिनांक–01.11.2023 के द्वारा प्राप्त तकनीकी स्वीकृति की सर्वसम्मति से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। तद्नुसार अग्रेत्तर कारवाई हेतु प्राचार्य सह–सदस्य सचिव, ने.वि.स. को प्राधिकृत किया गया।

05. कार्यसूची की मद संख्या–04 : विद्यालय के सिक्क रूम (आरोग्य निकेतन) में छात्रों के उपयोग हेतु तत्काल 10 बेड क्रय करने की स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान की गई। इसके लिए प्राचार्य सह–सदस्य सचिव को निदेश दिया गया कि छात्रहित का ध्यान रखते हुए यथाशीघ्र नियमानुसार बेड क्रय करना सुनिश्चित करेंगें।

06. कार्यसूची की मद संख्या–05 : प्राचार्य द्वारा सभी सदस्यों को अवगत कराया गया कि विद्यालय दुर्गम प्रक्षेत्र में अवस्थित होने के कारण चिकित्सा सुविधा का हमेशा अभाव रहता है तथा विद्यालय में सरकार द्वारा सृजित चिकित्सा पदाधिकारी का का एक पद रिक्त है एवं यह एकल पद होने के कारण इस पर आदर्श आरक्षण रोस्टर का नियम शिथिल रहेगा। सम्यक् विचारोपरान्त छात्रहित को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में रिक्त चिकित्सा पदाधिकारी के एकलपद की नियुक्ति हेतु सर्वसम्मति से नियमानुसार विज्ञापन प्रसारित करने अथवा स्वास्थ्य विभाग, झारखण्ड सरकार के सचिव/निदेशक से आग्रह किया जाय की इच्छुक चिकित्सक को प्रतिनियोजन के द्वारा विद्यालय में

Santosh

चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाय। तद्नुसार अग्रेत्तर कारवाई हेतु प्राचार्य सह-सदस्य सचिव, ने.वि.स. को प्राधिकृत किया गया।

07. कार्यसूची की मद संख्या-06 : विज्ञापन संख्या-01/2021 के आलोक में नियमित शिक्षकों की नियुक्ति हेतु निर्धारित अंतर्वीक्षा जिसे कार्यालय आदेशांक-1736 दिनांक-11.10.2023 के माध्यम से स्थगित किया गया था; की सर्वसम्मति से घटनोत्तर संपुष्टि प्रदान की गई एवं निर्णय लिया गया कि विज्ञापन को रद्द कर यत्किंचित संशोधन के पश्चात् पुनः राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन प्रकाशित किया जाय। साथ ही प्राचार्य नियुक्ति विज्ञापन संख्या-01/2023 के संबंध में निम्न निर्णय लिए गये -

(क) प्राचार्य नियुक्ति विज्ञापन संख्या-01/2023 के प्रसंग में सभापति महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि अपरिहार्य कारणों से प्राचार्य नियुक्ति का विज्ञापन राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित नहीं किया जा सका था। अतः इस संबंध में झारखण्ड गजट (असाधारण अंक) संख्या-625 दिनांक-09.11.2010 के नियमांस 2.9 (क) (iv) मे निर्दिष्ट नियमों के आलोक में पुनः राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन प्रकाशित कर नियमानुसार अग्रेतर कारवाई की जाय। प्राचार्य चयन प्रक्रिया हेतु सभापति, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति को प्राधिकृत किया गया।

08. कार्यसूची की मद संख्या-07 : प्राचार्य द्वारा सभी सदस्यों को अवगत कराया गया कि विद्यालय में शिक्षकों के लगातार सेवानिवृति होने तथा नयी स्थायी नियुक्ति न होने के कारण इसका सीधा प्रभाव विद्यालय के शैक्षणिक क्रियाकलाप एवं उत्कृष्टता पर पड़ रहा है। अतः नियमित नियुक्ति होने तक पूर्व में कार्यरत पांच संविदा शिक्षक जिन्हें सम्प्रति रू. 35,750.00 निर्धारित मासिक परिलब्धि का भुगतान किया जा रहा है, के अनुरूप रिक्त विषयवार आवश्यक पदों पर संविदा शिक्षक नियुक्ति किया जाना उचित होगा ताकि छात्र हित एवं विद्यालय की शैक्षणिक उत्कृष्टता का सुसंचालन नियमित रूप से हो सके। सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से आवश्यकतानुसार विषयवार संविदा शिक्षक के विज्ञापन प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया तथा उक्त विज्ञापन में निम्न तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख करने का निर्देश दिया गया।

Sandeep

(क) प्राप्त आवेदनों/आवेदकों की संख्या अधिक होने पर विषयवार स्क्रीनिंग टेस्ट एवं कक्षा अध्यापन परीक्षण परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तद्नुसार अग्रेत्तर कारवाई हेतु प्राचार्य सह-सदस्य सचिव, ने.वि.स. को प्राधिकृत किया गया।

09. कार्यसूची की मद संख्या-08 : प्राचार्य सह-सदस्य सचिव द्वारा समिति के सभी सदस्यों को अवगत कराया गया कि कार्यकारिणी समिति, ने.वि.स. का पुर्नगठन विभागीय अधिसूचना संख्या-3024 दिनांक-29.11.2022 के माध्यम से किया गया। पूर्ववर्ती छात्र नेतरहाट विद्यालय समिति के सदस्य द्वारा त्यागपत्र देने की स्थिति में पद रिक्त है। इस प्रसंग में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा बताया गया कि इस स्थिति में समिति पर्नुगठन हेतु पूर्व में बने पैनल से वरियता क्रम में आये पूर्ववर्ती छात्र कोटि से अगले अभ्यर्थी का मनोनयन कर विभागीय अधिसूचना निर्गत कर दी जायेगी। इस कार्य के अग्रेतर कारवाई के लिए सर्वसम्मति से प्राचार्य सह सदस्य सचिव, ने. वि.स. को निदेश हुआ कि बैठक की कार्यवाही का वर्णन करते हुए प्रशासी विभाग को एक पत्र प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

10. कार्यसूची की मद संख्या-09 : प्राचार्य सह-सदस्य सचिव द्वारा सभी सदस्यों को अवगत कराया गया कि समिति स्तर से नियुक्त अधिकांश शिक्षकों का सेवाकाल 10 वर्ष से अधिक हो गया है। वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रावधानानुसार 10/20/30 वर्षो के सेवा के उपरांत MACP देय है। इस संबंध में वित्त विभाग के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि इस हेतु वित्त विभाग के प्रावधानानुसार एक समिति जिसमें क्रमशः एक-एक प्रतिनिधि/सदस्य कार्मिक विभाग, वित्त विभाग एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार के होंगे का गठन किया जाना आवश्यक होगा तथा समिति गठन के समय इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि नेतरहाट विद्यालय के शिक्षकों का वेतनमान-15600-39100, ग्रेड पे - 5400 (Level-10) है। साथ ही MACP देने के पूर्व सभी लाभुक शिक्षकों से उनकी संपति विवरणी, C.R., निगरानी Clearance प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इस हेतु नियमानुसार अग्रेतर कारवाई करने के लिए प्राचार्य सह-सदस्य सचिव को प्राधिकृत किया गया तथा

Santosh

निदेश दिया गया कि उक्त कार्य हेतु विभागीय सदस्य का नाम प्रशासी विभाग को पत्र प्रेषित कर मांग लेंगे।

11. कार्यसूची की मद संख्या-10 : प्राचार्य द्वारा सभी सदस्यों को अवगत कराया गया कि कार्यकारिणी समिति, ने.वि.स. की 62वीं एवं 63वीं बैठक में लिए निर्णय के अनुपालनार्थ सभापति कार्यालय, रांची तथा प्राचार्य कार्यालय के प्रयोजनार्थ दो वाहन Morriss Garages Hector Pro 1.5 MT Sharp (white) का क्रय कर लिया गया है। उक्त संबंध में सभापति द्वारा बताया गया कि झारखण्ड सरकार, वित्त विभाग के ज्ञापांक-3296/8बी, दिनांक-15.09.2014 में पद के पात्रता के अनुरूप सभी पदवर्ग के लिए वाहन प्राप्त करने का नियम अंकित है, के संबंधं में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी को बताया गया कि वित्त विभाग का उक्त संकल्प बाह्य स्रोत से निविदा के माध्यम से प्रयोग हेतु भाड़े पर वाहन लेने के संबंध में है। इस प्रसंग में उपस्थित वित्त विभाग के प्रतिनिधि द्वारा प्राचार्य सह-सदस्य सचिव से पृच्छा की गई कि क्या पूर्व में कार्यकारिणी समिति की बैठक में मदवार नये मोटरवाहन क्रय हेतु जितनी राशि रखी गई थी उससे अधिक राशि का व्यय/विकलन हुआ है। जिसपर प्राचार्य द्वारा सभी सदस्यों को अवगत कराया गया कि दो मोटर वाहन क्रय हेतु कार्यकारिणी समिति, ने.वि.स. की पूर्व बैठक में उक्त कार्य हेतु प्राप्त संपुष्ट राशि से कम राशि का विकलन उक्त वाहन के क्रय में हुआ है। इस पर वित्त विभाग के प्रतिनिधि द्वारा कहा गया कि चूंकि नेतरहाट विद्यालय समिति एक स्वायंतशासी संस्था है और पूर्व में उक्त कार्य हेतु कार्यकारिणी समिति, ने.वि.स. स्तर से संपुष्ट की गई मदवार राशि से कम का विकलन हुआ है तो इस संबंध में कोई दिकक्त नहीं हैं। अतः सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से दो वाहन Morriss Garages Hector Pro 1.5 MT Sharp (white) के क्रय की कार्योत्तर संपुष्टि प्रदान की गई।

12. कार्यसूची की मद संख्या-11 : प्राचार्य द्वारा उपस्थित सभी सदस्यों को अवगत कराया गया कि विगत माह में भाभा आश्रम के छात्रों के बीच हुई मारपीट एवं अन्य संबंधित घटना के अनुक्रम में सभापति, कार्यकारिणी समिति, ने.वि.स. के निदेशानुसार प्राचार्य द्वारा तत्काल प्रभाव से भाभा आश्रम के आश्रमाध्यक्षा डॉ. सेवन्ती तिर्की को आश्रमाध्यक्षा के प्रभार से हटा दिया गया।

Santosh

इसकी कार्योतर संपुष्टि सर्वसम्मति से प्रदान की गई साथ ही प्राचार्य सह–सदस्य सचिव को निदेश दिया गया कि आश्रम व्यवस्था के संबंध में पूर्व से चले आ रहे नियम जिसमें लगातार एक बार में 6 वर्ष तक ही आश्रमाध्यक्ष का कार्यकाल सुनिशिचित है, का अनुपालन अविलम्ब करवाना सुनिशिचित किया जाय।

13. **कार्यसूची की मद संख्या–12** : विभागीय पत्रांक–12/यो. 01–28/2013/64, दिनांक–29.09.2023 के माध्यम से नेतरहाट आवासीय विद्यालय/नेतरहाट विद्यालय समिति के गैर योजानान्तर्गत सहायता अनुदान (वेतन एवं गैर वेतन) मद में प्राप्त निम्नांकित राशि के आंतरिक मदवार विभाजन की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई –

क्रम सं.	विभागीय वर्ष	मद का नाम	कोड	राशि (रू.)
01	2023–24	सहायता अनुदान सामान्य/वेतन	46	19455000.00
02	2023–24	सहायता अनुदान सामान्य/गैर वेतन	79	350,00,000.00

14. **कार्यसूची की मद संख्या–13** : प्राचार्य द्वारा सभी सदस्यों को अवगत कराया गया कि कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा पारित एवं सामान्य निकाय द्वारा अनुमोदित नेतरहाट विद्यालय समिति की नियुक्ति, सेवाशर्त एवं अनुशासन नियमावली–2011 झारखण्ड गजट (असाधारण अंक) संख्या–57 दिनांक–04.02.2012 तथा नेतरहाट विद्यालय समिति नियमावली में कतिपय आवश्यक संशोधन हेतु एक समिति के गठन की आवश्यकता है। सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से उक्त कार्य हेतु एक समिति गठित करने के लिए माननीय सभापति कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति को प्राधिकृत किया गया।

15. **कार्यसूची की मद संख्या–14** : वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–29/बी.एस.जी.–02/2023–24/677/बजट,दिनांक–17.10.2023तदुपरांत विभागीय पत्रांक–13/ने.06–10/2023–2968/, राँची, दिनांक–03.11.2023

santosh

के आलोक में वित्तीय वर्ष–2024–25 का बजटीय प्राक्कलन निम्नानुसार तैयार कर माननीय सभापति, कार्यकारिणी समिति से अनुमोदन प्राप्त करते हुए प्रशासी विभाग के संप्रेषित की गई जिसका सर्वसम्मति से घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई –

क्रम सं.	विवरणी	बजटीय प्राक्कलन की राशि (रू.)
01	गैर योजना सहायता अनुदान सामान्य (वेतन)	14,65,13,000.00
02	गैर योजना सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)	13,19,67,776.00
03	स्थापना मद	3,11,85,256.00
04	योजना मद	22,94,29,700.00

16. कार्यसूची की मद संख्या–15 : प्राचार्य द्वारा सभी सदस्यों को अवगत कराया गया कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय में अनुकम्पा के आधार पर चार कर्मचारी संविदा पर कार्यरत है –

1) श्री रेशमू एक्का 2) श्री संजय एक्का 3) श्री दिलीप कुमार महली
4) श्री चरकू किसान

उपरांकित कर्मचारी बार–बार अपने नियमित स्थायी नियुक्ति की माँग करते रहते है। इस प्रसंग उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में अगली बैठक में प्रस्ताव लाने का प्राचार्य को निदेश दिया गया।

17. अन्यान्य :–

(i) श्रीमती ममता कुमारी के मासिक मानदेय राशि को वर्तमान स्थिति में यथावत् रखने की बात कही गई जिसे सर्वसम्मति से संपुष्टि प्रदान की गई।

(ii) प्राचार्य स्तर से विद्यालय में विभिन्न कार्यो एवं घटनओं जिसकी पृच्छा की गई तथा जाँच हेतु समिति गठित की गई जिसके आधार पर निर्णय लेने हेतु विभागीय स्तर पर निम्न तीन सदस्यीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया –

Santosh

1) शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि – मनोनीत – अध्यक्ष
2) वित्त विभाग के प्रतिनिधि – मनोनीत – सदस्य
3) डॉ. गिरिन्द्र प्रसाद अथवा मुरलीधर कोटवार – सदस्य, कार्यकारिणी समिति ने.वि.स., सामान्य निकाय–सदस्य

उक्त अग्रेतर कारवाई हेतु सर्वसम्मति से प्राचार्य सह–सदस्य सचिव को प्राधिकृत करते हुए निदेशित किया गया कि प्रशासी विभाग से निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को एक पत्र प्रेषित कर उक्त निर्णय के आलोक में प्रशासी विभाग एवं वित्त विभाग के प्रतिनिधि मनोनीत करने हेतु अनुरोध कर लेंगे तदोपरान्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा को समुचित कारवाई करने हेतु प्राधिकृत किया गया।

(iii) विद्यालय में आश्रमाध्यक्ष भत्ता को 3000.00 (तीन हजार रूपया) मात्र मासिक किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

(iv) नेतरहाट आवासीय विद्यालय में समिति के रिक्त कार्यालयी पद जो प्रोन्नति के आधार पर भरे जाने है के संबंध में झारखण्ड गजट असाधरण अंक संख्या–57 दिनांक–06.02.2012 में प्रकाशित नियमों के आलोक में 08(आठ) वर्षों का संतोषप्रद कार्यकाल पूर्ण होने के संबंध में वित्त विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि इस हेतु संचिका के माध्यम से नियमावली के अनुसार समिति के अर्हताधारी कर्मियों के मूल पद, प्रोन्नति पद, वेतन, विभागीय हिन्दी टिप्पण तथा लेखा परीक्षा उत्तीर्ण है कि नहीं, शैक्षणिक योग्यता का स्पष्ट वर्णन करते हुए प्राचार्य सह–सदस्य सचिव के माध्यम से संचिका अग्रसारित करते हुए अगली कार्यकारिणी समिति की बैठक में उपस्थापित करें ताकि नियमानुसार प्रोन्नति के रिक्त पद भरे जा सके। इस हेतु नियमानुसार अग्रेतर कारवाई के लिए सर्वसम्मति से प्राचार्य सह–सदस्य सचिव, ने.वि.स. को प्राधिकृत किया गया।

(v) कार्यकारिणी समिति की आगामी बैठक में आवश्यकता के आधार पर पूर्ववर्त्ती छात्र, नेतरहाट आवासीय विद्यालय तथा विशेषज्ञ के रूप में विशेष आमंत्रित सदस्य बुलाने के लिए सभापति की सहमति से प्राचार्य सह–सदस्य सचिव,ने.वि.स. को सर्वसम्मति से प्राधिकृत किया गया।

(vi) नेतरहाट में पर्यटको के आवागमन बहुत बढ़ने के कारण बहुत सारे वाहनों का आवागमन भी विद्यालय परिसर के आस–पास तेजी से हो रहा है। छात्र

Santosh

हित को ध्यान में रखते हुए एक चेक-नाका बनाने तथा सुरक्षा-गार्ड उपलब्ध कराने हेतु उपायुक्त लातेहार एवं एस.पी. लातेहार को अनुरोध पत्र प्रेषित करने का निर्देश प्राचार्य सह सदस्य सचिव, ने.वि.स. को दिया गया।

(vii) नेतरहाट विद्यालय समिति नियुक्ति, सेवाशर्त तथा अनुशासन नियमावली-2011 (झारखण्ड गजट, (असाधारण अंक) संख्या-57 दिनांक-04.02.2012) के नियमांस कंडिका-4(a) के आलोक में पूर्व प्राचार्य डॉ. संतोष कुमार सिंह की पाँच वर्ष की संविदा अवधि पूर्ण होने के पश्चात् सेवा समाप्त की गई इसकी सर्वसम्मति से घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही इनके कार्यकाल में शैक्षणिक गतिविधि की समीक्षा भी की गई, तदोपरान्त ज्ञात हुआ की इनके कार्यकाल में छात्रों का शैक्षणिक उपलब्धि संतोषप्रद नहीं थी।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

Santosh 10-11-2023

(संतोष उराँव)
सभापति
कार्यकारिणी समिति
नेतरहाट विद्यालय समिति।

ज्ञापांक- 69/ने.वि.स./2023 **रांची, दिनांक-10.11.2023**

प्रतिलिपि- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, सदस्य, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति, झारखण्ड सरकार/ वित्त विभाग (वित्त विभाग द्वारा मनोनीत सदस्य), सदस्य, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति, झारखण्ड सरकार/ प्रो. (डॉ.) कामिनी कुमार, सदस्य, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति, 52, सर्कुलर रोड, लालपुर, रांची/ डॉ. उपेन्द्र प्रसाद, सह-शिक्षक, (सेवा-निवृत्त), नेतरहाट विद्यालय, सदस्य, कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट विद्यालय समिति/ डॉ. गिरिन्द्र प्रसाद, सह-शिक्षक, (सेवा-निवृत्त), नेतरहाट विद्यालय/श्री मारुति प्रताप सिंह, शिक्षक, नेतरहाट विद्यालय/ प्राचार्य-सह सदस्य सचिव, नेतरहाट विद्यालय समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Santosh 10-11-2023

सभापति
कार्यकारिणी समिति
नेतरहाट विद्यालय समिति।

नेतरहाट विद्यालय समिति

(स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग)

नेतरहाट विद्यालय समिति, कार्यकारिणी समिति की, दिनांक–03.11.2023 (शुक्रवार) को आहूत 64वीं बैठक की उपस्थिति :–

उपस्थिति :–

क्र०	नाम	कार्यकारिणी समिति में धारित पद	हस्ताक्षर
1.	श्री संतोष उराँव, पूर्ववर्त्ती छात्र, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सभापति	Santosh 03-11-2023
2.	निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा), स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची।	सदस्य	3/11/2023
3.	वित्त विभाग, के प्रतिनिधि (वित्त सचिव द्वारा मनोनीत), वित्त विभाग, झारखण्ड, रांची।	सदस्य	03.11.23
4.	डॉ. कामिनी कुमार, (राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद्), प्रति कुलपति, कोलहान विश्वविद्यालय, चाईबासा।	सदस्य	
5.	डॉ. उपेन्द्र प्रसाद, सह–शिक्षक, सेवा–निवृत्त, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य	3.11.23
6.	डॉ. प्रसाद पासवान, प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	सदस्य–सचिव	03/11/23
7.	डॉ. गिरिन्द्र प्रसाद, सह–शिक्षक, सेवा–निवृत्त, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	(विशेष आमंत्रित)	G Prasad 03/11/23
8.	श्री मारूति प्रताप सिंह, शिक्षक, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।	(शिक्षक प्रतिनिधि)	03-11-23